संख्या : 61/2016/935(2)/छप्पन-2016/7/13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त 2016

विषय :वायुयान सुपर किंग एयर-बी-200 पर (चार) 04 पायलटों को फर्नबोरो, इग्लैण्ड (यू0के0) में रिकरेन्ट प्रशिक्षण दिलाये जाने के लिए अग्रिम आहरण किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 27/ना0उ0वि0/आप्स-50/2015, दिनांक 23 जून, 2016 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुयान सुपर किंग एयर-बी-200 के सिमुलेटर पर अनिवार्य रिकरेन्ट ट्रेनिंग चार पायलटों को (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी फलाईट सेफटी इण्टरनेशनल की फैसिलिटी फर्नबोरो, इग्लैण्ड (यू0के0) में निम्नलिखित अवधि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना है :-

क्रमांक	पायलट	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों सहित)	प्रशिक्षण अवधि (यात्रा दिवसों रहित)	प्रशिक्षण स्थान
1	कै0 पंकज सिंह	26 अगस्त, 2016 से 06 अगस्त,2016	29 अगस्त, 2016 से 03 सितम्बर, 2016	फर्नबोरो, इग्लैण्ड (यू0के0)
2	कै0 कमलेश्वर सिंह			
3	कै0 प्रज्ञेश मिश्र	09 सितम्बर, 2016 से 20 सितम्बर,2016	12 सितम्बर, 2016 से 17 सितम्बर, 2016	
4	कै0 प्रवीण कुमार			

2- उक्तानुसार पायलटों कों दो स्लाटों में प्रशिक्षण दिये जाने के लिए रिकरेन्ट ट्रेनिंग के रूप में 3590 पौण्ड एवं एल0वी0ओ0 ट्रेनिंग 790 पौण्ड अर्थात कुल 4380 पौण्ड प्रति पायलट की दर से निर्माता कम्पनी के ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रान्सफर के माध्यम से 17520 पौण्ड अग्रिम भुगतान किया जाना है, जो भारतीय मुद्रा में रूपये 98 प्रति पौण्ड की विनियम दर से रू0 17,16,960/- (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) होता है ।

3- अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में कै0 पंकज सिंह, कै0 कमलेश्वर सिंह, कै0 प्रज्ञेश मिश्र एवं कै0 प्रवीण किशोर, पायलटगण को पूर्वोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि के अनुसार निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी मै0 फर्नबोरो, इग्लैण्ड (यू0के0) में प्रशिक्षण हेतु रू0 17,16,960/- (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते है ।

----2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि रू0 17,16,960/- (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार नौ सौ साठ मात्र) का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-6-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा ।

5- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु पायलटगण से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रशिक्षण के उपरान्त वायुयान किराया, लोकल यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं होटल किराया आदि का प्ररीक्षण नियमानुसार करने के उपरान्त यात्रा बीजक का भुगतान अनुदान संख्या - 38 के इंगित लेखाशीर्षक के मानक मद 04-यात्रा व्यय से किया जायेगा ।

7- उक्त स्वीकृत अग्रिम का समायोजन की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जाय ।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : एफ0ए0-1-320/दस-2016, दिनांक 19 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 61/2016/935(3)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।